


सूचना


निदेशानुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त कनीय अभियंताओं को सूचित किया जाता है कि यदि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के अंतर्गत यदि उनका वित्तीय उन्नयन का मामला दिसम्बर 2014 तक की स्थिति के अनुसार देय एवं लम्बित है तो वे अपना वांछित पूर्ण सूचना के साथ दिनांक-24.12.2014 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय ताकि आगामी विभागीय स्क्रीनिंग समिति की आहूत होने वाली बैठक में आपका मामला विचारार्थ उपस्थापित किया जा सके। पूर्व में विभागीय पत्रांक-80 दिनांक-12.07.2013 एवं 128 दिनांक-25.10.2013 द्वारा अप्राप्त अभिलेख/चारित्री से संबंधित सूचना संबंधित स्थापना पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है।


(शिवनन्दन चौधरी)
अवर सचिव

ज्ञापक- 2/प्रो 2-101/2014 - 191

दिनांक- 12/12/14

प्रतिलिपि- विभागीय आईटी मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर इस सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित।


(शिवनन्द चौधरी)
अवर सचिव

11/11/11 11:11 AM 11/11/11 11:11 AM 11/11/11 11:11 AM 11/11/11 11:11 AM